न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :—55 / 2024

प्रार्थीः—

सकाराम पुत्र पाबुराम जाति राईका निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगणः—

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
2. चदणोदेवी पत्नी पाबुराम जाति राईका
3. निम्बाराम पुत्र पाबुराम जाति राईका
4. मंगलाराम पुत्र पाबुराम जाति राईका
5. सुजाराम पुत्र पाबुराम जाति राईका

निवासीयान मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :—

श्री नेहपालसिंह अधिवक्ता प्रार्थी

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 19.03.2025

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1802/1519 रकबा 4.3139 हैक्टेयर ग्राम मोकलसर तहसील सिवाना में अवस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा आधारकार्ड,पेन कार्ड,मतदाता परिचय पत्र,भामाशाह कार्ड,जन आधार कार्ड मिनी सहकारी बैंक बचत खाता आदि में उसका वास्तविक नाम ''सकाराम पुत्र पाबुराम'' दर्ज है किन्तु विवादित भूमियों के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम ''छगना पुत्र पाबुराम ''लिख दिया । इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये [illegible] प्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित [illegible] से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार सिवाना के [illegible] भू.अ./2024/3142 दिनांक 27.[illegible].2024 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य में मतदाता परिचय पत्र,परिवार राशनकार्ड, आधारकार्ड आदि प्रस्तुत किया तथा प्रार्थना पत्र के समर्थन में सुजाराम पुत्र पाबुराम के बयान कलमबद्ध करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.04.20 16:53:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ''सकाराम पुत्र पाबुराम'' है,किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि ग्राम मोकलसर तहसील सिवाना के खसरा संख्या 1802/1519 रकबा 4.3139 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम ''छगना पुत्र पाबुराम'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के मतदाता परिचय पत्र, परिवार राशनकार्ड, आधारकार्ड आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ''सकाराम पुत्र पाबुराम'' दर्ज है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम ''छगना पुत्र पाबुराम'' दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम ''सकाराम पुत्र पाबुराम'' होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मोकलसर तहसील सिवाना के खसरा संख्या 1802/1519 रकबा 4.3139 हैक्टयर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम ''छगना पुत्र पाबुराम'' के स्थान पर ''सकाराम पुत्र पाबुराम'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है।

आदेश आज दिनांक 19.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.04.20 13:53:53 IST
Reason: SelfAttested